क्रम संख्या–59 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015 1 /

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 30 जून, 2017 ई0

आषाढ़ 09, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 282/XXXVI(3)/2017/41 (1)/2017

देहरादून, 30 जून, 2017

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017" पर दिनांक 30 जून, 2017 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2017 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 09 वर्ष 2017)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगे।

धारा 25–क का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 25–क की वर्तमान उपधारा (1) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेगी; अर्थात–

(1) इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह प्राविधानित किया जाता है कि कमिश्नर, विज्ञप्ति जारी करके यह घोषित कर सकते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति में सूचीबद्ध पंजीकृत व्यौहारी, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 अथवा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कर निर्धारण वर्ष के लिए जैसा कि ऐसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो, निम्न आधारों पर स्वतः ही कर निर्धारित मान लिये जायेंगे;

(क) ऐसे मामले, जिनमें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियां दाखिल कर दी गयी है, लेकिन वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है, में इन सभी विवरणियों में स्वीकृत करदेयता; और

(ख) ऐसे मामले, जिनमें कोई सावधिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है अथवा सभी सावधिक विवरणियां दाखिल नहीं की गयी हैं परन्तु इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर वार्षिक विवरणी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता; और

(ग) ऐसे मामले, जिनमें इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर सभी सावधिक विवरणियां दाखिल कर दी गयी है और वार्षिक विवरणी भी दाखिल कर दी गयी है, में वार्षिक विवरणी में स्वीकृत करदेयता;

परन्तु यह कि –

(एक) ऐसे व्यौहारी का कर निर्धारण अनिस्तारित हो और वह कर

निर्धारण वर्ष 2013–14 अथवा 2014–15 अथवा 2015–16 के अतिरिक्त अन्य वर्ष से सम्बन्धित न हो; और

(दो) ऐसे मामले, जिनमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, में वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावों के समर्थन में संबंधित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिए गए हों; और

(तीन) ऐसे कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित, कर निर्धारण अधिकारी के किसी आदेश अथवा नोटिस के विरूद्ध कोई रिट अथवा धारा 51 या धारा 53 के अन्तर्गत कोई अपील दायर न की गयी हो;

परन्तु यह और कि –

(एक) ऐसे व्यौहारी द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के अन्तरण का कोई सम्व्यवहार न किया गया हो; अथवा

(दो) ऐसा व्यौहारी विशिष्ट रूप से "आयरन और स्टील" अथवा "खाद्य तेल" अथवा "सीमेंट" अथवा "मेंथा एवं मेंथा उत्पाद" अथवा "पान मसाला" अथवा "मार्बल् स्टोन" अथवा "सिरेमिक टाइल्स" अथवा "इनमें से एक से अधिक वस्तुओं" की ट्रेडिंग अथवा विनिर्माण में व्यवहृत न हो; अथवा

(तीन) ऐसा व्यौहारी विशिष्ट रूप से "ईंटों" अथवा "रेत" अथवा "बजरी" अथवा "रिवर बेड मैटिरियल्स (आर0बी0एम0)" अथवा "बोल्डर्स" अथवा "क्रस्ड स्टोन" अथवा "स्टोन ब्लास्ट" अथवा "ग्रिट" अथवा "गिट्टी" अथवा "कंकड़" अथवा "स्टोन डस्ट" अथवा "इनमें से एक से अधिक वस्तुओं" की ट्रेडिंग में व्यवहृत न हो; अथवा

(चार) ऐसा व्यौहारी ईंटों के विनिर्माण में व्यवहृत न हो; अथवा

(पांच) ऐसे व्यौहारी द्वारा रु0 10,000 से अधिक की वापसी(रिफण्ड) का दावा न किया गया हो; अथवा

(छः) ऐसे व्यौहारी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल जांच अथवा कार्यवाही न की गयी हो; अथवा

(सात) वर्ष 2012–13 के संदर्भ में, ऐसे व्यौहारी के विरूद्ध;

(क) कर की दर पर कोई विवाद नही होना चाहिए; या

(ख) आई0टी0सी0 का विलोमितीकरण नही होना चाहिए; या

(ग) सुनवाई के उपरान्त सर्वोत्तम विवेक से पारित आदेश के परिणामस्वरूप रू0 10,000/– से अधिक की कोई अतिरिक्त मांग, स्वीकृत कर के अतिरिक्त, सृजित नहीं होनी चाहिए।

(4) उपधारा (1) में प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी हो जाने के पश्चात् यदि कर निर्धारण अधिकारी, छानबीन(स्क्रूटनी) अथवा प्राप्त सूचना के आधार पर सन्तुष्ट है कि किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित किसी वाद में कर की देयता, स्वीकृत कर देयता से रू0 10,000 या उससे अधिक है, तो ऐसे कर निर्धारण वर्ष का वाद कमिश्नर, अथवा कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी जो ज्वाइन्ट कमिश्नर से निम्न पद का नहीं होगा, की अनुमति से, लेखा पुस्तकों एवं सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच करके पुनः कर निर्धारण करने के लिए खोला जा सकता है और इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोले जाने की समय–सीमा, ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसे वाद में पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय–सीमा, जिस दिनांक को वाद खोला गया है से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आज्ञा से,

भारत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

वार्षिक कर निर्धारण वादों की अत्यधिक संख्या के परिप्रेक्ष्य में ऐसे वादों, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक वार्षिक आवर्त तथा कर निहित न हो, को निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 में एक नई धारा 25–क अन्तःस्थापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत कतिपय उदार शर्तों के अधीन वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण वादों को स्वतः कर निर्धारित किये जाने का प्रावधान किया गया। उक्त धारा 25–क को जोड़े जाने के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 के लिये 26811 तथा वर्ष 2012–13 के लिये 26,815 वादों कुल 53,696 वाद निस्तारित किये गये। इस प्रकार वर्ष 2012–13 तक के समस्त वादों का निस्तारण हो चुका है।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर प्रणाली लागू की जानी प्रस्तावित है, इस परिप्रेक्ष्य में जी0एस0टी0 प्रणाली को सुचारू रूप से प्रशासित करने के उद्देश्य से भी आवश्यक है कि विगत वर्षों के अधिकाधिक कर निर्धारण वादों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जाये। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के क्रमशः 58,834, 87,375 तथा 1,05,088 अवशेष वादों का निस्तारण किया जाना है और इतनी अधिक संख्या में कर निर्धारण वादों को अधिनियम में विहित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाना अत्यधिक दुष्कर कार्य है।

3. धारा 25–क के प्राविधानानुसार उदार शर्तों के अधीन व्यापारियों द्वारा दाखिल रूपपत्रों के आधार पर उन्हें स्वतः निर्धारित मान लिये जाने के परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण वादों का परीक्षण अपेक्षित Detailing से किया जाना सम्भव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जी0एस0टी0 की विभिन्न अपेक्षाओं की पूर्णता हेतु निर्धारित समय–सीमा के दृष्टिगत विभागीय अधिकारियों की व्यस्तता के संदर्भ में भी धारा 25–क में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

4. उक्त वर्णित स्थिति में धारा 25–क के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2013–14, कर निर्धारण वर्ष 2014–15 तथा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 के अनिस्तारित वादों को सम्बन्धित वर्ष में सकल वार्षिक आवर्त की बिना कोई मौद्रिक सीमा निर्धारित किये, जिन व्यापारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य रिकॉर्ड में हैं, जिन व्यापारियों के विरूद्ध आई0टी0सी0 रिवर्सल अथवा किसी अन्य कारण से नियमित सुनवाई में रू0 10,000 से अधिक की मांग सृजित हुई हो, ऐसे ईंट–भट्टों, जिनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है आदि को डीम्ड एसेसमेंट से बाहर रखते हुये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25–क में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने हेतु 'उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 को विधान सभा में पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अतः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन के विचारार्थ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधायी/372–2017–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।